


नैतिकता अधिनियम के अन्तर्गत राजकीय दौरे
 के अन्तर्गत/प्रोटोकाल राज कार्य
 के अन्तर्गत होने के कारण दिनांक... 8-8-23
 के राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख
 पेशी दिनांक... 10-10-23
 नियत की जाती है। 2

10/23

पत्रावली भाजप पेश हुई। वादी वकील
 अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक
 रुक कर बार-बार आवृत्ति लावामी
 गयी। ना तो वादी वकील और ना ही
 स्वयं वादी उपस्थित हुए। अतः
 पत्रावली सिविल प्रक्रिया संविदा के
 आदेश 3 नियम 3 (अदम्य पैकी अदक
 राजरी) के तहत खारिज की जाती
 है। पत्रावली फ़ैसल में शुमार दो नम्बर
 से कम की जायज दखिल दस्ता है।


 उप जिला कलेक्टर
 पीथन का बरवाका